

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

मो0नूर आलम, पिता- स्व0 मिन्नत अली, सा0-पुरानी बाजार, थाना+जिला-मधेपुरा ने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 15/2739 का नवीकरण हेतु दिनांक 03.10.2013 को आवेदन समर्पित किया है। आवेदन के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति भी संलग्न किया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विवरण निम्नप्रकार है:-

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	पूर्व नवीकृत वर्ष	नवीकरण हेतु आवेदित वर्ष	चलान जमा करने की तिथि	आवेदन की तिथि	विलंब का कारण	विलंब का समय
15/2739	दो नाली बन्दूक संख्या- 3449/3419	2006	2007 से अद्यतन तक	छायाप्रति संलग्न नहीं	03.10.13	भूलवश	लगभग 07 वर्ष

मो0नूर आलम से प्राप्त आवेदन में संलग्न अनुलग्न के अवलोकन से स्पष्ट है कि वे 2006 तक नवीकरण कराए हैं और वर्ष 2007 से अद्यतन तक के लिए नवीकरण कराना चाहते हैं। साथ ही विलंब का कारण भूलवश अंकित किया गया है, जो विलंब का कोई ठोस आधार नहीं है। जब कि शस्त्र का समय पर नवीकरण निरीक्षण कराना शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण में विलंब किया गया है। अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराए बिना उस पर धारित शस्त्र को अपने पास रखे रहना तथा इसका अवैध उपयोग कर शांति व्यवस्था को भंग करने की अंदेश से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो घोर लापरवाही का द्योतक है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है।

अतएव इस कृत के लिए मो0नूर आलम के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 15/2739 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित थाना मालखाना में अपना दो नाली बन्दूक संख्या 3449/3419 जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना में शस्त्र जमा करने के पश्चात् जमा रसीद समय-समय पर नवीकरण नहीं कराए जाने के कारण (चिकित्सीय /अन्य साक्ष्य) स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में विवरण अंकित कर एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के अन्दर सभी वांछित कागजात एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्यवाई कर दी जाएगी।

थानाध्यक्ष, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि मो0नूर आलम, पिता- स्व0 मिन्नत अली, सा0-पुरानी बाजार, थाना+जिला-मधेपुरा के द्वारा शस्त्र जमा किया जाता है तो उसे सुरक्षित मालखाना में जमा रखेंगे एवं उसकी पावती रसीद निर्गत करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

रत
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....10...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....5-12-13.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा एवं आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं थाना में संधारित शस्त्र पंजी में भी उक्त आशय की प्रविष्टि हेतु प्रेषित। वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि : मो0 नूर आलम, पिता-स्व0मिन्नत अली, सा0- पुरानी बाजार,था0+जिला- मधेपुराको सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5/12/13
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।